

कुस.पिंकी ५/५ मंदेश नै

दावा सं २७/१८

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुक्म की तामीर  
जारी हुए

क्रमांक

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म  
में

२१-२-१८

बहुलाय फरीदेन उपल्लेन, लाइफ वाई हेतु  
समय-चाहते हैं, मौका दिया जाता हो पत्रावली  
वास्ते लाइफ वाई सं १२-२-१८ को देया हो।

*[Signature]*

१२-२-१८

बहुलाय फरीदेन उपल्लेन, लाइफ वाई क्रिए  
हेतु उप-नये समय-चाहा एक मौका दिया  
जाता है पत्रावली वास्ते लाइफ वाई सं  
२६३-१८ को देया हो।

*[Signature]*

२६/१८

अभिभाषक सघ द्वारा कार्य को बहिष्कार रखा गया है। अतः  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक २५-५-१८ को देया हो

*[Signature]*

२५/१८

बहुलाय फरीदेन उपल्लेन, लाइफ वाई हेतु  
समय-चाहा, पत्रावली वास्ते एक बार नया  
आवेदन देया जातक में सं ५.५.१८ को  
देया हो।

५-१८

आज पत्रावली "राज्य लोक न्यायन अधिसूचना-  
न्याय आदेश सं २०१८" केस्य गहनकर के  
प्रस्तुत हुए। उभय पक्ष एवं उनके अधिभाषक

*[Signature]*

पत्रावली  
कावली  
हो  
दिनी  
गोपेन  
हो  
हो  
हो

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

$\frac{168}{0.01}$ ,  $\frac{169}{0.43}$ ,  $\frac{172}{0.43}$ ,  $\frac{173}{0.55}$ ,  $\frac{174}{0.43}$ ,  $\frac{175}{0.45}$ ,  $\frac{176}{0.54}$  किला 8  
 रकम 3.48 हेक्टे. वाले ग्राम गहनकर तहसील नगर  
 में है हैला 1/2 विशान लाल पुत्र दिवलू पर हैला 1/3  
 पर तरतीवी जमीन की कबू, हैला 1/3 पर तरतीवी जमीन  
 जगदीश तथा हैला 1/3 पर चादिचा एवं तरतीवी  
 जमीन को 3 लगन 6 व शेष 1/2 हैला से ले  
 हैला मदेश 1/3 पर चादिचा व तरतीवी जमीन  
 से 3 लगन 6 को वाहैला बदलकर खालेदार घोषित  
 करने का मत निकलना किया है।

कम्प के दौरान राजसे आर में उमर -  
 पदा चादिनी एवं जमिंदारी मदेश ने राजीनामा प्रस्तुत  
 किया है कि - " आ. ल. नं.  $\frac{167}{0.64}$ ,  $\frac{168}{0.01}$ ,  $\frac{169}{0.43}$ ,  $\frac{172}{0.43}$ ,  $\frac{173}{0.55}$   
 $\frac{174}{0.43}$ ,  $\frac{175}{0.45}$ ,  $\frac{176}{0.54}$ , किला 8 रकम 3.48 हेक्टे. वाले ग्राम  
 गहनकर में जमिंदारी मदेश के हैला 1/6 में है -  
 चादिनी को हैला 1/6 पर खालेदार घोषित किया  
 जाये शेष 5/6 हैला जमिंदारी मदेश के पास  
 रहेगा तथा मदेश की मृत्यु के बाद उनके आर  
 चादिनी जमिंदारी से 3 लगन 6 का ही हैला  
 रहेगा। " उक्त राजीनामा सुनाकर समिति एवं  
 जज सदस्यों द्वारा उमरगत किया जाकर चादिनी  
 पत्रालिका किया गया।

हमने उमरपदा की सुना तथा पत्रालिका  
 का इमान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी  
 सं. 2068-71 में खाला सं. 149 पर वि. आ. किला 8 रकम  
 3.48 हेक्टे. के का मत - " श्री कबू, मदेश, जगदीश  
 पिता हरलाल बहक 1/2 हैला विशान लाल बल दिवलू 1/2  
 नौम शाहण सा खालेदार दर्ज होगा पाया जाता है।  
 इस प्रकार कि इन के जमिंदारी से 1 मदेश 1/6 हैला  
 का खालेदार है तथा चादिचा जमीन से 1 से उमर  
 है, तथा जमिंदारी से 1 ने राजीनामा प्रस्तुत  
 कर अपने हैला 1/6 से ले चादिनी को 1/6 हैला  
 पर खालेदार घोषित करने का निवेदन किया है।  
 इस प्रकार दावा चादिनी मुगाधिक राजीनामा  
 पत्रालिका किने जाने योग्य पाया जाता है। उक्त  
 आदेश है कि -

